519

संख्या–547 / XIII-I / 2013–5(42)2005

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 26 मार्च, 2014

विषयः राज्यों के प्रसार कार्यक्रमों की विस्तार की योजना के अंतर्गत राज्यांश अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–कृ0नि0 / 10561 / लेखा–बजट / आतमा / 2013–14 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं भारत सरकार के पत्र सं0–36-30/2012-AE/Extn.Dest दिनांक 11 मार्च, 2014 तथा वित्त विभाग के शासनादेश सं0–284 / XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्यों के प्रसार कार्यक्रमों की विस्तार योजना (90% केन्द्र सहायतित) हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश रू0 100.00 लाख सीधे राज्य स्तर पर खोले गए एस0एफ0ए0सी0 खाते में उपलब्ध कराए जाने पर राज्यांश की 10% राशि **रू0 11.11 लाख (रूपये ग्यारह लाख ग्यारह हजार मात्र)** की निम्न शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने एवं इस धनराशि का अग्रिम आहरण कर उत्तराखण्ड स्माल फारमर्स एग्री बिजनेस कन्सोरिटियम (SFAC) को हस्तान्तरित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग शासन के वर्तमान आदेशों / निर्देशों, वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज नियमावली / प्रोक्योरमैन्ट रूल्स, 2008 में निहित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन सुनिश्चित किया जाय तथा जहां कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता संबंधी जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

3– प्रश्नगत योजना के कार्यक्रमों का संपादन भारत सरकार की गाइड लाईन्स के अनुसार किया जाय।

4– बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर व्यय विवरण 10 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–8 पर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा विभागाध्यक्ष द्वारा 20 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर संकलित व्यय विवरण शासन एवं वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–17 के लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–800–अन्य योजनाएं–01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–03–राज्यों की प्रसार कार्यक्रमों की विस्तार योजना (90% केन्द्र सहायतित) के मानक मद 42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

क्रमशः.....2

6– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 में विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से साफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट एलाटमैन्ट आई0डी0–S1403170506 दिनांक 26 मार्च, 2014 के अंतर्गत तथा वित्त विभाग के शासनादेश सं0–284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या–547/XIII-I/2013–5(42)2005/तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मंडल, पौड़ी/कुमांऊ मंडल, नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक राजकोषीय नियोजन एवं संशाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
8. अपर कृषि निदेशक, पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक, कुमांऊ मंडल, हल्द्वानी।
9. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी/आहरण–वितरण अधिकारी, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
संयुक्त सचिव